Impact Factor (SJIF): 6.092 E-ISSN: 2583-1615

International Journal of Research in Academic World

Received: 05/December/2023 **IJRAW:** 2024; 3(1):01-05 **Accepted:** 02/January/2024

सामान्य और सहशिक्षा नामांकन में महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रति श्री गंगानगर जिले के छात्रों के दृष्टिकोण का अध्ययन

[*1]डॉ. परविन्द्रजीत सिंह

[*1]प्राचार्य, संत श्री प्राणनाथ परनामी पी जी कॉलेज, पदमपुर, राजस्थान, भारत।

सारांश

मानव एक विवेकशील प्राणी है। अपनी क्रियाओं द्वारा नवीन ज्ञान प्राप्त करना ही उसका उद्देश्य होता है। उसका ज्ञान उचित है या नहीं इसके लिए वो अपने प्रयासों से छानबीन, खोज एवं शोधकार्य करके अपने ज्ञान की पुष्टि करता है। प्रत्येक शोधकार्य का कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। उद्देश्यों को निर्धारित किये बिना किया गया कार्य कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। यह उसी प्रकार होता है जिस प्रकार एक दीवार। अतः जिस उद्देश्य को ध्यान में रखा जाता, उसी के आधार पर दत्तों का संकलन करके विश्लेषण किया जाता है और निष्कर्ष प्राप्त किये जाते हैं। परन्तु अनुसंधान का कार्य यहीं समाप्त नहीं हो जाता। केवल तथ्यों का विश्लेषण करने से शोधकर्ता अपने अनुंसधान से सम्बन्धित परिकल्पनाओं का मूल्यांकन नहीं कर सकता। अतः परिकल्पनाओं का मूल्यांकन करने के बाद ही वह किसी निष्कर्ष पर पहुँच सकता है। एक अच्छा शोधकर्ता वही है, जो अपने अध्ययन के निर्धारित उद्देश्यों का मूल्यांकन प्रस्तुत करे। प्रत्येक शोध के भावी शोधों के लिए कुछ सुझाव दिये जाने चाहिए। यहां दिये गये सुझावों से तात्पर्य है कि भविष्य में कोई इस सम्बन्ध में शोध करना चाहे तो उसका मार्गदर्शन हो सके।

महिला सशक्तिकरण के सन्दर्भ में किये गये आज तक के अध्ययनों का अवलोकन करने से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि एक या दो अलग–अलग नोवैज्ञानिक चरों को लेकर इस समस्या पर अध्ययन किया गया है। परन्तु इस चर के साथ सामान्य विद्यालय एवं सह–शिक्षा विद्यालयों को लेकर इस समस्या पर अध्ययन अभी प्रकाश में नहीं आया है। यह पक्ष अभी अछूता रह गया जो महिलाओं की सक्रिय वृद्धि में सहायक होगौ।

मुख्य शब्दः महिला सशक्तिकरण, सामान्य एवं सह–शिक्षा विद्यालय।

1. प्रस्तावना

बालक के विकास का उत्तरदायित्व माता के व्यवहार व उसके उच्च चरित्र पर निर्भर है। किस प्रकार माता एक देवी रूप में पवित्र प्यार व ममता की छाया में एक बालक का पालन करती है। जिस प्रकार एक कुम्भ कार कच्ची मिट्टी को विभिन्न आकार में ढ़ाल कर नवीन रूप प्रदान करती है। बिल्कुल इसी प्रकार एक नारी ममता, स्नेह और आदर्श व्यक्ति के रूप में देश के गौरव को बढ़ाने वाली बनाती है।

रोजगार एवं समाज के अन्य पुरुष प्रधान क्षेत्र में नारियों की बढ़ती भागीदारी को विश्व के आर्थिक, सामाजिक उत्थान के रूप में देखा जा सकता है। आज महिलाएं सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं। यही भावी भविष्य की सुनहरी संभावना है। हमारा प्राचीन इतिहास ऐसी सैंकड़ों कथाओं और कहानियों से भरा पड़ा है। जब जब आवश्यकता पड़ी है तब तब नारी शक्ति ने अपनी शक्ति का परिचय दिया है। नारी ही राष्ट्र की आधार शक्ति है। गाँधीजी ने पुरूषों व महिलाओं में समानता के सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हुए कहा है कि "*महिला किसी भी दृष्टि से पुरुषों से कमजोर नहीं है।*"

जिस समाज में नारी को गौरव दिया जाता है। उसकी शिक्षा की उचित व्यवस्था की जाती है और उसे समाज के निर्माण में पुरूषों के समान ही स्वतन्त्रता प्रदान की जाती है, वहाँ देवता निवास करते हैं।

***Corresponding Author:** डॉ. परविन्द्रजीत सिंह

महिलाओं के लिए कोई भी कार्य उनके चहुमुखी विकास के लिए होता है। परन्तु विकास से भी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई। पिछले आठ वर्ष से ॔सशक्तिकरण॔ शब्द का प्रयोग हो रहा है। वर्ष 2001 को नारी 'सशक्तिकरण' के रूप में मनाया गया है। अब भी यह शब्द व्यवहार में है। आज सामाजिक संगठनों ने भी इस शब्द को अपना लिया है, यह अच्छी बात है। परन्तु जीवन के हर क्षेत्र में नारी को सशक्त होने की जरूरत है। आर्थिक, राजनैतिक, पारिवारिक, सामाजिक से लेकर जीवन के अन्य क्षेत्रों में स्त्री को सशक्त करने के उपाय ढूंढ़े जा रहे हैं। योजनाएं क्रियान्वित हो रही हैं। सशक्तिकरण को व्यवहारिक रूप दिया जा रहा है। नारी को सशक्त बनाने में आज महिलाओं के पिछड़ेपन के कई कारण हैं। जिनमें से सबसे प्रमुख कारण उनका अशिक्षित होना है।

2. साहित्य का पुनरावलोकन (Review of Literature)

वैश्य (डॉ) शकुन्तला (2008): इस लेख का उद्देश्य शहरों के साथ ही गांवों में भी महिलाओं का शोषण और उत्पीडन रोकने के लिए महिलाओं में शिक्षा का प्रसार करना होगा, उन्हें संगठित होकर अन्याय के विरूद्ध आवाज उठाने की प्रेरणा देनी होगी ।महिलाओं को यह समझना भी आवश्यक है कि वे अपने बीच खाई को समाप्त करें। एक महिला दूसरी महिला को उत्पीड़न करने के बजाय उसे स्नेह दे तभी स्त्री सशक्तिकरण अभियान को वास्तविक सार्थकता प्राप्त होगी। । महिलाओं को संगठित करने में महिला बाल विकास कई योजनाएं संचालित कर रहा है।

लता (डॉ.) मंजू (2009): लेखक के अनुसार आधुनिक समय में स्त्रियाँ घर की चाहरदिवारी को लॉघकर बाहर निकली है एवं अपने आपको सबल, शिक्षित एंव उन्नत जीवन जीने के लिए कार्यक्षेत्र में प्रवेश किया है। हालाँकि अनुसूचित जाति की महिलाओं में यह चेतना अभी कुछ कम है । किंतु घर से बाहर कार्यक्षेत्र में प्रवेश होने के साथ–साथ उन पर होने वाले उत्पीड़न भी कुछ कम नही हुए है। बल्कि उत्पीडन के स्वरूपों में बदलाव आया है । अब महिलाएँ घर से बाहर भिन्न–भिन्न तरीको एवं भिन्न–भिन्न जगहों पर उत्पीडित होने लगी है। इस समस्या से निपटनें के लिए संविधान में महिलाओ को कई अधिकार व कानून दिये जिससे महिलाओं को कार्यक्षेत्र में उत्पीडन का शिकार न होना पड़े।

3. अनुसंधान की आवश्यकता व महत्त्व

आज की दुनिया कुल मिलकार अपेक्षाकृत तेजी से बदलती हुई दुनिया है, और यह बदलाव कई दिशाओं में चल रहा है। सामाजिक दृष्टि से देखें तो भारत की स्वतन्त्रता के बाद से होने वाले सबसे अधिक सारभूत और उल्लेखनीय परिवर्तनों में से एक है नारी–समाज की आपेक्षिक मुक्ति–घरों की चारदीवारियों से निकलकर उसका बाहरी दुनिया की हलचल में शामिल होना।

4. समस्या कथन

प्रस्तुत लघु शोध प्रबन्ध का शीर्षक "उच्च माध्यमिक स्तर के सामान्य एवं सह–शिक्षा विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं की महिला सशक्तिकरण के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन"

5. तकनीकी शब्दाबली

- **उच्च माध्यमिक स्तर:** प्रस्तुत शोधकार्य उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों पर किया गया है। कक्षा 11 व 12 में अध्ययन करने वाले विद्यार्थी उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की श्रेणी में आते हैं।
- **सामान्य विद्यालय:** ये विद्यालय ऐसे विद्यालय होते हैं जिनमें या तो केवल लड़के शिक्षा ग्रहण करते हैं, या केवल लड़कियां शिक्षा ग्रहण करती हैं। अर्थात् ऐसे विद्यालय लड़के एवं लड़कियों के अलग–अलग होते हैं। इन विद्यालयों के विद्यार्थियों को महिला सशक्तिकरण के प्रति अभिवृत्ति के अध्ययन में शामिल किया गया है।
- **सह–शिक्षा विद्यालय:** ये विद्यालय ऐसे विद्यालय होते हैं जिनमें लड़के एवं लड़कियां साथ–साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं तथा उनके सभी कार्यक्रम साथ–साथ ही होते हैं। इन विद्यालयों के विद्यार्थियों को मूल्यों एवं अनुशासन के अध्ययन में शामिल किया गया है।
- **महिला सशक्तिकरण:** महिलाओं के सशक्तिकरण के अन्तर्गत–महिलाओं की शिक्षा और स्वतन्त्रता को समाहित करते हुए सामाजिक सेवाओं के समान अवसर, राजनैतिक और आर्थिक नीति निर्धारण में भागीदारी, समान कार्य के लिए समान वेतन, कानून के तहत सुरक्षा एवं प्रजनन का अधिकार आदि बातों को समाहित किया गया है।

शोध मे प्रयुक्त उपकरण

किसी समस्या के अध्ययन हेतु परिकल्पना की रचना के पश्चात् नवीन एवं अज्ञात प्रदत्त एकत्रित करने के लिए अनेक विधियाँ प्रयुक्त की जाती हैं। प्रत्येक मापन विधि एक विशेष प्रकार के प्रदत्तों के संकलन का स्रोत होती है। एक सफल अनुसंधान के लिए उपयुक्त उपकरणों के चयन का अत्यधिक महत्व होता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए शोधकर्ता भिन्न–भिन्न उपकरणों का प्रयोग करते हैं। शोधकर्ता को इन उपकरणों की प्रकृति, गुण–दोषों एवं उनकी विश्वसनीयता एवं वैद्यता आदि से भंली प्रकार परिचित होना चाहिये। प्रस्तुत शोध में आँकड़ों के संग्रहण एंव विभिन्न चरों के मापन हेतु मापनी प्रश्नावली का प्रयोग किया गया है, जिसके द्वारा प्राप्त उत्तरों के आधार पर शोध सांख्यिकी संगणनायें की गयी हैं।

प्रतिदर्श का प्रारूप एवं प्रतिचयन विधि

न्यादर्श की दृष्टि से प्रस्तुत लघुशोध प्रबन्ध में न्यायदर्श के रूप में श्री गंगानगर जिले की गंगानगर तहसील के

राजकीय व गैर राजकीय विद्यालयों की छात्राओं को सम्मलित किया गया है।

6. शोध के उद्देश्य

अनुसंधान कार्य करने से पहले उद्देश्यो का निर्धारण करना अत्यन्त आवश्यक होता है। क्योंकि यही अनुसंधान में दिशा निर्देशन का कार्य करते है। अनुसधानकर्ता ने अपने लघुशोध में निम्नलिखित उद्देश्यों का निर्धारण किया है।

1. सामान्य एवं सह–शिक्षा विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं की महिला सशक्तिकरण के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन करना।
2. सामान्य एवं सह–शिक्षा विद्यालयों में अध्ययनरत ग्रामीण छात्राओं की महिला सशक्तिकरण के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन करना।
3. सामान्य एवं सह–शिक्षा विद्यालयों में अध्ययनरत शहरी छात्राओं की महिला सशक्तिकरण के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन करना।

7. शोध परिकल्पना

प्रस्तुत शोध अध्ययन के उद्देश्यों के अन्तर्गत निर्मित उद्देश्यों की परिकल्पनायें प्रस्तुत की गयी हैं। परिकल्पनाएँ निम्न प्रकार है–

1. सामान्य एवं सह–शिक्षा विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं की महिला सशक्तिकरण के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
2. सामान्य एवं सह–शिक्षा विद्यालयों में अध्ययनरत ग्रामीण छात्राओं की महिला सशक्तिकरण के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
3. सामान्य एवं सह–शिक्षा विद्यालयों में अध्ययनरत शहरी छात्राओं की महिला सशक्तिकरण के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

आंकड़ो का विशलेषण–

प्रस्तुत लघु शोध में क्षेत्र व लिंग की दृष्टि से न्यादर्श का विभाजन निम्न प्रकार से किया गया–

परिकल्पना संख्या 1: सामान्य एवं सह–शिक्षा विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं की महिला सशक्तिकरण के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

तालिका 1: सामान्य एवं सह–शिक्षा विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं की महिला सशक्तिकरण के प्रति अभिवृत्ति के प्राप्तांकों के मध्यमानों के अन्तरों की सार्थकता

समूह	पदों की संख्या (N)	Mean	S.D.	C.R. Value
सामान्य विद्यालय की छात्राएं	100	115.91	14.96	2.78
सह–शिक्षा विद्यालय की छात्राएं	100	109.51	17.45	

(df = N_1+N_2-2 = 200+200-2 = 398½

उपरोक्त तालिका संख्या–1.1 में सामान्य एवं सह–शिक्षा विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं की महिला सशक्तिकरण के प्रति अभिवृत्ति का मध्यमान क्रमशः 115.91 एवं 109.51 तथा मानक विचलन क्रमशः 14.96 एवं 17.45 प्राप्त हुए हैं। इन मानों के आधार पर दोनों समूहों के मध्य क्रान्तिक अनुपात (ब् टंसनम) का मान 2.78 प्राप्त हुआ है। यह मान स्वतंत्रता के अंश 198 के 0.01 तथा 0.05 सार्थकता के स्तरों पर क्रान्तिक अनुपात के सारणी मान क्रमशः 2. 60 तथा 1.97 से अधिक है। अतः निर्धारित शून्य परिकल्पना को सार्थकता के दोनों स्तरों (0.01 तथा 0 051 पर अस्वीकृत कर कहा जा सकता है कि सामान्य एवं सह–शिक्षा विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं की महिला सशक्तिकरण के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर है।

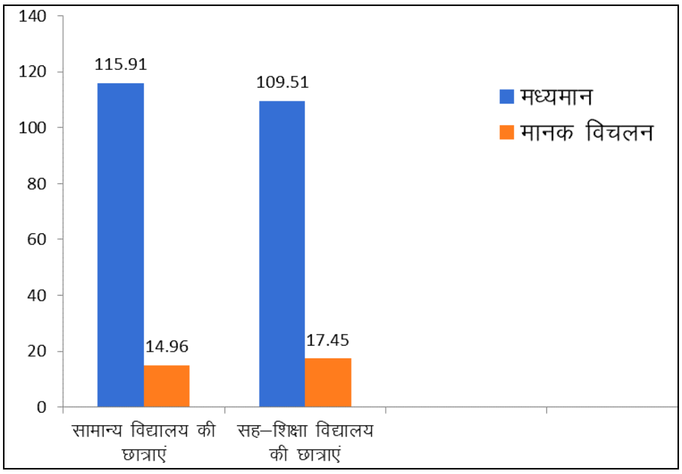

आरेख 1: सामान्य एवं सह–शिक्षा विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं की महिला सशक्तिकरण के प्रति अभिवृत्ति के प्राप्तांकों के मध्यमानों व मानक विचलन का दण्डारेख

परिकल्पना संख्या 2: सामान्य एवं सह–शिक्षा विद्यालयों में अध्ययनरत ग्रामीण छात्राओं की महिला सशक्तिकरण के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

तालिका 2: सामान्य एवं सह–शिक्षा विद्यालयों में अध्ययनरत ग्रामीण छात्राओं की महिला सशक्तिकरण के प्रति अभिवृत्ति के प्राप्तांकों के मध्यमानों के अन्तरों की सार्थकता

समूह	पदों की संख्या (N)	Mean	S.D.	C.R. Value
सामान्य विद्यालय की ग्रामीण छात्राएं	50	115.91	13.23	2.35
सह–शिक्षा विद्यालय की ग्रामीण छात्राएं	50	108.18	19.33	

(df = N_1+N_2-2 = 200+200-2 = 398½

उपरोक्त तालिका संख्या–1.2 में सामान्य एवं सह–शिक्षा विद्यालयों में अध्ययनरत ग्रामीण छात्राओं की महिला सशक्तिकरण के प्रति अभिवृत्ति का मध्यमान क्रमशः 115.

96 एवं 108.18 तथा मानक विचलन क्रमशः 13.23 एवं 19.33 प्राप्त हुए हैं। इन मानों के आधार पर दोनों समूहों के मध्य क्रान्तिक अनुपात (ब् टंसनम) का मान 2.35 प्राप्त हुआ है। यह मान स्वतंत्रता के अंश 98 के 0.01 तथा 0. 05 सार्थकता के स्तरों पर क्रान्तिक अनपात के सारणी मान क्रमशः 2.68 तथा 2.61 से अतः निर्धारित शून्य परिकल्पना को सार्थकता के दोनों स्तरों (0.01 तथा 0.05) पर स्वीकृत कर कहा जा सकता है कि सामान्य एवं सह–शिक्षा विद्यालयों में अध्ययनरत ग्रामीण छात्राओं की महिला सशक्तिकरण के प्रति अभिवत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

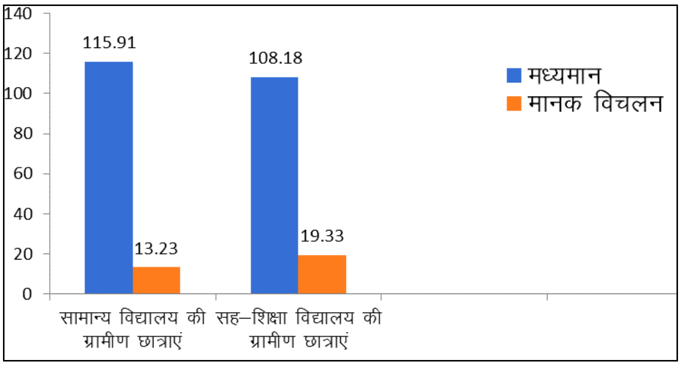

आरेख 2: सामान्य एवं सह–शिक्षा विद्यालयों में अध्ययनरत ग्रामीण छात्राओं की महिला सशक्तिकरण के प्रति अभिवृत्ति के प्राप्तांकों के मध्यमानों व मानक विचलन का दण्डारेख

परिकल्पना 3: सामान्य एवं सह–शिक्षा विद्यालयों में अध्ययनरत शहरी छात्राओं की महिला सशक्तिकरण के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

तालिका 3: सामान्य एवं सह–शिक्षा विद्यालयों में अध्ययनरत शहरी छात्राओं की महिला सशक्तिकरण के प्रति अभिवृत्ति के प्राप्तांकों के नामा मध्यमानों के अन्तरों की सार्थकता

समूह	प्दों की संख्या (N)	Mean	S.D.	C.R. Value
सामान्य विद्यालय की शहरी छात्राएं	50	115.86	16.64	1.56
सह–शिक्षा विद्यालय की शहरी छात्राएं	50	110.84	15.42	

(df = N_1+N_2-2 = 200+200- 2 = 398½

उपरोक्त तालिका संख्या–1.3 में सामान्य एवं सह–शिक्षा विद्यालयों में अध्ययनरत शहरी छात्राओं की महिला सशक्तिकरण के प्रति अभिवृत्ति का मध्यमान क्रमशः 115. 86 एवं 110.84 तथा मानक विचलन क्रमशः 16.64 एवं 15.42 प्राप्त हुए हैं। इन मानों के आधार पर दोनों समूहों के मध्य क्रान्तिक अनुपात (ब् टंसनम) का मान 1.56 प्राप्त हुआ है। क्रान्तिक अनुपात का यह मान स्वतंत्रता के अंश 98 के 0.01 तथा 0.05 सार्थकता स्तरों पर इसके सारणी मान क्रमशः 2.68 तथा 2.61 से कम हैं। अतः निर्धारित शून्य परिकल्पना को सार्थकता के दोनों स्तरों (0.01 तथा 0.05) पर स्वीकृत कर कहा जा सकता है कि सामान्य एवं सह–शिक्षा विद्यालयों में अध्ययनरत शहरी छात्राओं की महिला सशक्तिकरण के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

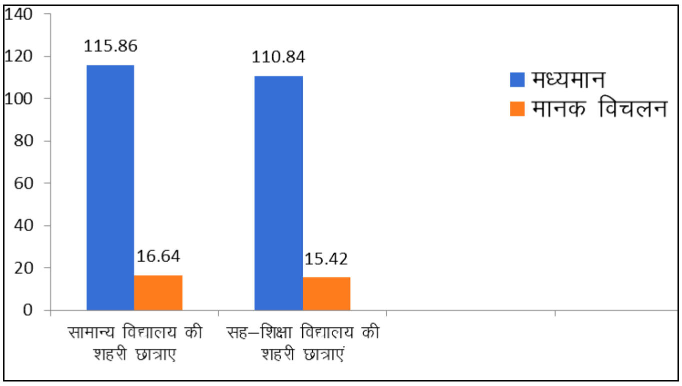

आरेख 3: सामान्य एवं सह–शिक्षा विद्यालयों में अध्ययनरत शहरी छात्राओं की महिला सशक्तिकरण के प्रति अभिवृत्ति के प्राप्तांकों के मध्यमानों व मानक विचलन का दण्डारेख

निष्कर्ष

एक शैक्षिक अनुसंधानकर्ता को अपने प्रदत्तों के आधार पर निष्कर्ष निकालते समय पूर्ण सावधानी एवं सतर्कता रखनी चाहिए। प्रत्येक शोधकार्य का कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। निरूद्देश्य कार्य सारहीन एवं बालू की भित्ति के समान होता है। अतः जिस उद्देश्य को ध्यान में रखा जाता है। उसी के आधार पर सामग्री का संकलन किया जाता है। जिससे महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले जा सकें।

भौतिक धरातल पर खड़ा व्यक्ति दर्शन के स्त्रोत से अपनी अतृप्त ज्ञान रूपी प्यास को बुझाता है। कार्य व कारण का घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। फिर भी परिणाम प्राप्ति का लक्ष्य मनुष्य को अपने मार्ग से विचलित कर देता है। एक अच्छे शोधकर्ता का महत्व इसी में कि वह उसके द्वारा उन निर्धारित उद्देश्यों का मूल्यांकन प्रस्तुत करें जो अध्ययन के प्रारम्भ में निश्चित किये गये हैं।

प्रस्तुत अनुसंधान–कार्य में अनुसंधानकर्त्री ने परिकल्पनाओं के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त किए है–

परिकल्पना संख्या 1: सामान्य एवं सह–शिक्षा विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं की महिला सशक्तिकरण के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

उक्त परिकल्पना का परीक्षण करने पर पाया गया कि सामान्य विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं का मध्यमान सह–शिक्षा विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं के मध्यमान से अधिक है। उक्त दोनों प्रकार के विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं के मध्यमानों के अन्तर की सार्थकता की जाँच हेतु ज्ञात किये गये क्रान्तिक अनुपात का मान सार्थकता के दोनों स्तरों पर क्रान्तिक अनुपात के सारणी मान से अधिक है। अतः निर्धारित शून्य परिकल्पना सार्थकता के दोनों स्तरों पर अस्वीकृत होती है। अतः परिणामस्वरूप यह कहा जा सकता है कि सामान्य एवं

सह–शिक्षा विद्यालयों में छात्राओं की महिला सशक्तिकरण के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर है।

परिकल्पना संख्या 2: सामान्य एवं सह–शिक्षा विद्यालयों में ग्रामीण छात्राओं की महिला सशक्तिकरण के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

उक्त परिकल्पना का परीक्षण करने पर पाया गया कि सामान्य विद्यालयों में अध्ययनरत ग्रामीण छात्राओं का मध्यमान सह–शिक्षा विद्यालयों में अध्ययनरत ग्रामीण छात्राओं के मध्यमान से अधिक है। उक्त दोनों प्रकार के विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के मध्यमानों के अन्तर की सार्थकता की जाँच हेतु ज्ञात किये गये क्रान्तिक अनुपात का मान सार्थकता के दोनों स्तरों पर क्रान्तिक अनुपात के सारणी मान से कम है। अतः निर्धारित शून्य परिकल्पना सार्थकता के दोनों स्तरों पर स्वीकृत होती है। अतः परिणामस्वरूप यह कहा जा सकता है कि सामान्य एवं सह–शिक्षा विद्यालयों में ग्रामीण छात्राओं की महिला सशक्तिकरण के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

परिकल्पना संख्या 3: सामान्य एवं सह–शिक्षा विद्यालयों में शहरी छात्राओं की महिला सशक्तिकरण के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

उक्त परिकल्पना का परीक्षण करने पर पाया गया कि सामान्य विद्यालयों में अध्ययनरत शहरी छात्राओं का मध्यमान सह–शिक्षा विद्यालयों में अध्ययनरत शहरी छात्राओं के मध्यमान से अधिक है। उक्त दोनों प्रकार के विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के मध्यमानों के अन्तर की सार्थकता की जाँच हेतु ज्ञात किये गये क्रान्तिक अनुपात का मान सार्थकता के दोनों स्तरों पर क्रान्तिक अनुपात के सारणी मान से कम है। अतः निर्धारित शून्य परिकल्पना सार्थकता के दोनों स्तरों पर स्वीकृत होती है। अतः परिणामस्वरूप यह कहा जा सकता है कि सामान्य एवं सह–शिक्षा विद्यालयों में शहरी छात्राओं की महिला सशक्तिकरण के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

यह शोध इसलिए भी सिद्ध हो सकेगा कि शिक्षित नारी प्रशासनिक कार्यों में अपना योगदान दे सकेंगी। शहरी एवं ग्रामीण विद्यार्थियों का महिला सशक्तिकरण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण होगा तो विद्यार्थी महिला सशक्तिकरण की मुख्य धारा में रचनात्मक योगदान दे सकेंगे। शिक्षा में इसका प्रयोग करने से जो महिलाएं समाज की जजीरों से जकड़ी नहीं रहेगी। अपने अधिकारों एवं अपने लिए निर्मित कानूनों का सही रूप उपयोग कर सकेंगी। कानून द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर घरेलू हिसां एवं प्रताड़ना से बच सकेंगी।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. पारख, एस.के. (2002), ष्राजनीति विज्ञान की प्रमुख अवधारणाएं एवं विचारधाराएंष संस्करण–पृथम, अलका पब्लिकेशन, अजमेर, पृष्ठ संख्या–250
2. सिंह, सविता (2008), ष्नारी शक्ति का प्रतीकष गाँधी स्मृति एवं दर्शन स्मृति, पृ. सं. 23, 36
3. शर्मा, संगीता एवं शर्मा आर.के., (2006) ष्महिला विकास एवं राजकीय योजनाएंष प्रथम संस्करण, रितू पब्लिकेशन जयपुर, पृ. सं. 1 से 31
4. राठौड़, शशीकान्त कुमार (2005) ष्महिला सशक्तिकरणष सेमीनार पुस्तिका, पृ. सं. 243
5. शर्मा, आर. ए. (2003), षशिक्षा अनुसंधानष आर. लाल बुक डिपो, मेरठ, वर्ष–2003, पृष्ठ संख्या–22.